

प्ररूप-23
(नियम 167 (1) देखिए)

कार्यालय ग्राम पंचायत कंवरपुरा पंचायत समिति कोटपुतली जिला जयपुर

आबादी भूमि का विक्रय विलेख



बुक नं.
0027

पट्टा नं.

मिसल सं.

दायर दिनांक 5.3.89

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 20.8.07 को प्रथम पक्ष, राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम 1994 (1994 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) के अधीन स्थापित पंचायत, जो उस अधिनियम की धारा 9 के उपबन्धों के आधार पर एक निगमित निकाय है। (जिसके इसमें आगे "विक्रेता" कहा गया है) और दूसरे पक्ष श्री नवभारती सेवा समिति जयपुर पुत्र (शिक्षण कार्य हेतु) निवासी कंवरपुरा (जिन्हें इसमें आगे "क्रेता" कहा गया है) के बीच किया जाता है।

यतः

1. इसकी अनुसूची में वर्णित और इससे उपाबद्ध योजना में अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित भूमि जो उसे लाल रंग में सीमाबद्ध दर्शित करती है, विक्रेता के प्रयोजन के लिए विक्रेता में निहित है।
2. उक्त भूमि दिनांक 5.3.89 को विक्रेता की ओर से विक्रय के लिए नीलाम के लिए भूमि के क्रय हेतु श्री नवभारती सेवा समिति जयपुर के आवेदन के अनुसरण में प्रस्तावित की गयी थी और क्रेता की रु. 35000/- की बोली सबसे ऊंची होने के कारण स्वीकार कर ली गई थी।

या

उक्त भूमि 35000/- रु. की बाजार दर (बातचीत द्वारा विक्रय के लिए लागू) पर बातचीत द्वारा बेची गयी है और विक्रेता पंचायत के संकल्प सं. 5.3.89 दिनांक 5.3.89 द्वारा मंजूर की गई तथा पंचायत समिति/जिला परिषद/ राज्य सरकार के आदेश सं. 20.8.07 दिनांक 20.8.07 द्वारा पुष्ट की गई है।

3. उक्त नीलाम अद्यतन यथा-संशोधित राजस्थान पंचायती राज, नियम, 1996 के नियम 150 से 152 के अनुसरण में किया गया था, और

4. क्रेता ने 35000/- रुपये की उक्त राशि विक्रेता के खाते में जमा करायी है।


अब यह विलेख निम्नलिखित रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करता है :-

1. उक्त नीलाम/विक्रय के अनुसरण में और पूर्वोक्त क्रेता द्वारा संदत्त रु. की राशि के प्रतिफल में (जिसकी प्राप्ति विक्रेता इसके द्वारा अभिस्वीकृत करता है), विक्रेता इसकी अनुसूची में वर्णित और इससे उपाबद्ध योजना में, जो इसे लाल रंग में सीमाबद्ध दर्शित करती है, में अधिक विशिष्टतः वर्णित भूमि क्रेता को ऐसे उप-करों और करों के संदाय के अध्यक्षीन रहते हुए जो उस पर विधिपूर्वक निर्धारित या अधिरोपित किये जायें और तत्समय प्रवृत्त राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और उप-विधियों द्वारा अधिरोपित निर्बन्धनों के अध्यक्षीन रहते हुए क्रेता को पूर्ण स्वामी के रूप में उसे धारित करवाने के लिए इसके द्वारा क्रेता को अन्तरित करता है।

मुख्य अधिकारी

ग्राम पंचायत कंवरपुरा
पं. स. कोटपुतली (जयपुर)

मुख्य अधिकारी
ग्राम पंचायत कंवरपुरा
पं. स. कोटपुतली (जयपुर)



राजस्थान RAJASTHAN

C 883150

AFFIDAVIT

Mehar Singh Yadav S/o Sh. Bhagwan Sahai Yadav and Secretary of the Nav Bharati Seva Samiti, Kanwarapura, Kotputli aged about 32 years, resident Kotputli of Village & Post - Kanwarapura, Kotputli, Distt- Jaipur (Raj.) 303108, am the authorized signatory of the application made to the Regional Committee of the National Council for Teacher Education at Jaipur seeking grant of recognition/permission for conducting a course in Teacher Education titled B.Ed. with intake of 1 unit /100 seats.

2. That the Nav Bharati Seva Samiti, Kanwarapura is in possession of land as per the following description :-

2.1 Total Area (in Sqr. Mts.) 2539 Sqr. Mts.
2.2 Built up Area (in Sqr. Mts.) 1530 Sq. Meter
2.3 Address :

Plot no.

Khasra No.

385, 386 Patta No. 15

Village :

Kanwarapura, Teh.- Kotputli

District

Jaipur

State

Rajasthan

Area in Square Meters

2539 Sqr. Mts.

Bounded by

North 72 Mts

South 51 Mts.

East 51 Mts.

West 16 Mts.

Registered in the Office of Sub registrar -IV, Jaipur

on 16.11.05 / 19.11.05.

[Signature]
सचिव

ATTESTED
20/11/05
[Signature]
[Signature]



Existing Building Plan For Astha College of Education, Patta No.15 ,
 Khasra No.385,386, V.P.O. Kanwarpura, Teh.Kotputli, Dist. Jaipur (Raj.)
 (To be managed by Nav bharati Seva Samiti,Kanwarpura)

FOR COURSE - B.Ed.

Total Land Area 2539 Sq. Mtr.
 Covered Area G.F. 14403 Sq. Ft. or 1338.5 Sq. Mtr.
 Covered Area F.F. 10250 Sq. Ft. or 952.6 Sq. Mtr.
 Total Covered Area G.F. +F.F. = 24653 Sq. Ft. or 2291.1 Sq. Mtr.



Distance From Kanwarpur Bus Stand 1.0 K.M
 Distance From N.H. 500, 94
 Distance From B.G.M. Kaptai Hospital 6 K.M



NOTE 8